सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-588 राँची, मंगलवार, 30 नवम्बर, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2021

संख्या-06/उ०नि०/ FPP-2015/06-2020-1158 --खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्रांक AS (MA)/misc/2020/79 दिनांक-03.07.2020 द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के केन्द्र प्रायोजित योजना "Scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises" (FME) का वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अवधि हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की सक्षमता वर्धन करने, वर्तमान कार्यरत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों एवं FPO, SHG और Cooperative के साख पहुँच का वर्धन करने, योजना को One District One Product के आधार पर संचालित करने के लिए नीति निर्धारण/निर्देशन, मार्ग-दर्शन एवं अनुश्रवण करने के निमित्त राज्य स्तर पर संकल्प निर्गत के पश्चात् मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में एक State Level Approval Committee का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	सदस्य
5.	अभियान निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
6.	Birsa Agriculture University, Ranchi के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	BIT MESRA, Ranchi के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	NABARD के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	National Skill Development के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	State Lead Bankers Committee के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	National Co- operative Development Corporation के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	बैंकिग/फाइनेंस और मार्केटिंग/ब्रांडिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ (सचिव, उद्योग विभाग द्वारा नामित)	सदस्य
13.	राज्य नोडल पदाधिकारी (निदेशक उद्योग)	सदस्य सचिव

समिति का मुख्य कार्य Survey/Studies, State Nodal Agency द्वारा प्रस्तुत Project Implementation Plan, Capacity Building Activities for State & District Official, Subsidy Proposal of Groups for recommending to MOFPI, Strengthening of State Institutions, Proposal for Common Facilities, Groups or Marketing & Branding, Seed capital to groups और PIP में शामिल विविध गतिविधियों हेतु परियोजना व्यय (अधिकतम सीमा 10 लाख रू0) की स्वीकृति। उक्त कार्यों के अतिरिक्त समिति योजना के कुल लक्ष्यों के अनुरूप मासिक लक्ष्यों का निर्धारण, पोर्टल के माध्यम से योजना की प्रगति का अनुश्रवण एवं योजना पोषित इकाइयों/CFC का निरीक्षण

जैसे कार्यों का संपादन करेगी। इस केन्द्र प्रायोजित योजना में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को अंगीकार करने हेतु समिति को तत्संबंधी अधिकार प्राप्त होंगे।

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-2784 दिनांक-31.12.2020 को यथा संशोधित समक्षा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 588 -- 50